समाहरणालय, मधेपुरा
(शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

श्री कुमार रोहित, पिता-राजकिशोर यादव, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-08, थाना+जिला-मधेपुरा को एक, एन0 पी0 बोर रायफल की अनुज्ञप्ति संख्या-17/2006 (मधेपुरा थाना) प्राप्त है, जिस पर रायफल संख्या-AB-05-08802 (315 Bore) धारित है। उनकी पत्नी श्रीमती डेजी कुमारी, पति-स्व0 कुमार रोहित, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-08, थाना+जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पति कुमार रोहित की मृत्यु दिनांक 12.02.2016 को हो चुकी है। उक्त शस्त्र को मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः श्रीमती डेजी कुमारी, पति-स्व0 कुमार रोहित द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् उनके पति स्व0 कुमार रोहित के नाम से निर्गत एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति संख्या-17/2006 को **रद्द** किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् धारित रायफल संख्या-AB-05-08802 (315 Bore) को मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदिका श्रीमती डेजी कुमारी, पति-स्व0 कुमार रोहित को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

Sd/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 146 /श0, मधेपुरा, दिनांक 29-12-2016

प्रतिलिपि : श्रीमती डेजी कुमारी, पति-स्व0 कुमार रोहित, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-08, थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।